# बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना

अ.स.प.सं.वि.प.वि.- 54/2023- **1300** (3) वि.प.          दिनांक- 16.10.2023

**प्रिय महोदय / महोदया,**

निदेशानुसार मुझे यह सूचित करना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-174 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के माननीय राज्यपाल ने बिहार विधान परिषद् को सोमवार, दिनांक 06 नवम्बर, 2023 को 11.00 बजे पूर्वाह्न परिषद् वेश्म, पटना में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने की कृपा की है।

आहूत करने से संबंधित अधिसूचना की एक प्रति सहज निदेश हेतु इसके साथ संलग्न है।

अत: अनुरोध है कि नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने की कृपा करें।

भवदीय

कु० सिंह
16.10.2023

**(कमलेन्दु कुमार सिंह)**
प्रभारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

सेवा में,

श्री/श्रीमती........................................

## बिहार सरकार
## संसदीय कार्य विभाग
## : : अधिसूचना : :

संख्या-सं०का०-1/वि.मं.(सत्र)-01-01/2023- 797/ पटना, दिनांक – 16.10.2023

अधिसूचना संख्या- **796** दिनांक- 16.10.2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(उदय प्रताप सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

## Government of Bihar
## Department of Parliamentary Affairs
## : :NOTIFICATION : :

Patna, Dated – 16.10.2023

No-P.A.-1/V.M. (Session)-01-01/2023–796 / The following order of the Governor of Bihar dated the **15-10-203** is hereby published for general information :-

**"In exercise of the powers under Clause (1) of Article 174 of the Constitution of India, I, Rajendra Vishwanath Arlekar, Governor of Bihar, hereby summon the Bihar Legislative Council to meet at 11.00 AM on the 06th November, 2023 in the Council Chamber, Patna.**

**Patna,**
**Dated 15-10-2023**

**Rajendra Vishwanath Arlekar**
**Governor of Bihar."**

Sd/-

**(Uday Pratap Singh)**
**Joint Secy. to Govt.**

## बिहार सरकार
## संसदीय कार्य विभाग

## : : अधिसूचना : :

संख्या-सं०का०-1/वि.मं.(सत्र)-01-01/2023-796/ पटना, दिनांक - 16.10.2023

बिहार के राज्यपाल का दिनांक 15.10.2023 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान परिषद् को दिनांक 06 नवम्बर, 2023 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान परिषद् वेश्म, पटना में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।

पटना, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर,

दिनांक- 15.10.2023 राज्यपाल, बिहार।"

ह०/-

(उदय प्रताप सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

# बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना

**पत्रांक – वि.प.वि. – 54/2023- 1301 (3) वि.प.**

प्रेषक :

**कमलेन्दु कुमार सिंह**
**प्रभारी सचिव**
**बिहार विधान परिषद्**

सेवा में,

**बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण,**

पटना, दिनांक –16.10.2023

**विषय :** भारतीय संविधान के अधीन संघटित बिहार विधान परिषद् के 205वां सत्र (माह नवम्बर, 2023) के अस्थायी कार्यक्रम ।

**महोदय / महोदया,**

दिनांक –06 नवम्बर, 2023 से प्रारम्भ होनेवाली बिहार विधान परिषद् की बैठकों में सम्पादित होनेवाले कार्यों को निपटाने के लिए नियत तिथियों के साथ अस्थायी कार्यक्रम संलग्न किया जाता है :

**राजकीय विधेयक** : बुधवार, दिनांक – 08 नवम्बर, 2023 एवं वृहस्पतिवार, दिनांक - 09 नवम्बर, 2023 को सभा अथवा सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजकीय विधेयक उस श्रेणी के कार्य के लिए नियत तिथि की कार्यावली में उसी क्रम में रखे जाएंगे, जो बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-20(1) के अधीन सदन नेता के परामर्श से माननीय सभापति निदेशित करेंगे।

**विराजकीय दिन** : केवल एक दिन मंगलवार, दिनांक 07 नवम्बर, 2023 को विराजकीय कार्य निपटाने के लिए नियत किया गया है।

माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् ने मंगलवार, दिनांक 07 नवम्बर, 2023 को विराजकीय संकल्प निपटाने तथा सचिव के कार्यालय वेश्म में शलाका द्वारा प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु तिथियां निम्नवत् नियत की है :

| **विराजकीय संकल्प पर विचार करने की तिथि** | **संकल्प प्राप्ति की अंतिम तिथि** | **शलाका की तिथि** |
|---|---|---|
| मंगलवार, दिनांक - **07.11.2023** | बुधवार, दिनांक **25.10.2023** को 5.00 अपराह्न तक | मंगलवार, दिनांक **31.10.2023** को 5.00 अपराह्न |

किसी विशेष तिथि की कार्यावली के लिए शलाका में किसी भी सदस्य का एक ही श्रेणी का एक से अधिक प्रस्ताव अथवा संकल्प समाविष्ट नहीं किया जाएगा।

आशा है, आप ऐसे संकल्प की प्रतियां और कार्यसूची सहित अन्य पत्र या प्रतिवेदन, जो परिषद् सचिवालय द्वारा आपको समय-समय पर भेजे जाएं, सत्र में निदेश के लिए साथ लाने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

क०कु०सिंह
16.10.2023

(कमलेन्दु कुमार सिंह)
प्रभारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.वि.– 54/2023–**1301** (3) वि.प.। दिनांक – 16.10.2023

**प्रतिलिपि** : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार / माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार / माननीय मंत्रीगण / माननीय मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय / मुख्यमंत्री सचिवालय (चार प्रतियों में) / माननीय राज्यपाल, बिहार के सचिव / माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय एवं बिहार विधान सभा स्थित कार्यालय वेश्म / लोकायुक्त, बिहार / महाधिवक्ता, बिहार / बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष / सभी राज्यों के विधान मंडलों के सचिव / लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली / पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली / बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना / निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / उप सचिव, नेवा सेल / जन-सम्पर्क पदाधिकारी एवं प्रभारी, नेवा सेल, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/10/2023

(ज्ञान प्रकाश)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

## बिहार विधान परिषद् के 205वें सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम

## नवम्बर, 2023

| | |
|---|---|
| सोमवार, दिनांक 06 नवम्बर, 2023 | 1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)<br>2. बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सदन पटल पर रखा जाना (यदि हो)<br>3. वित्तीय वर्ष 2023-2024 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन<br>4. शोक प्रकाश (यदि हो) |
| मंगलवार, दिनांक 07 नवम्बर, 2023 | गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) |
| बुधवार, दिनांक 08 नवम्बर, 2023<br>वृहस्पतिवार, दिनांक 09 नवम्बर, 2023 | राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य |
| शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर, 2023 | वित्तीय वर्ष 2023-2024 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक |

******